बेरोजगारी भत्ता योजना : 1 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन हेतु कोई अंतिम तिथि नहीं, हितग्राहियों को बैंक खाते में सीधे मिलेगा भत्ता

❒ कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ रोजगार-स्वरोजगार स्थापित करने का मिलेगा अवसर

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।

बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।

पात्रता की शर्तें- बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

कौन होगा अपात्र- बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।

आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया- बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे।ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।

आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय क्षेत्र के निवास का पता एंट्री करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की गई राशि और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

एक लाख का ईनामी नक्सलियों के पानीडोबिर एलओएस अध्यक्ष गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बुधवार सुबह डीआरजी के जवान मकानार, केसोकोडी की तरफ रवाना हुई थी, इस दौरान केसोकोडी के जंगल से घेराबंदी कर 01 लाख का ईनामी नक्सलियों के पानीडोबिर एलओएस अध्यक्ष गणेश कडिय़ाम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पानीडोबिर एलओएस के अध्यक्ष गणेश कडियाम पर कई नक्सली अपराध दर्ज हैं। वर्ष 2008 से नक्सली संगठन में सक्रिय रहा है। पुलिस ने उस पर 01 लाख का रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। गणेश 2015 में कोयलीबेड़ा क्षेत्र में जवानों पर हुए हमले में भी शामिल था। इस घटना में 02 जवान शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार को नक्सलियों ने जो आईईडी विस्फोट किया, इसमें गणेश की भूमिका नहीं थी, लेकिन इससे पहले जवानों पर हमले, हत्या, लूट जैसी कई नक्सली वारदातों में वह शामिल रह चुका है।

नक्सलियों ने पूर्व उपसरपंच की गला घोंटकर हत्या कर दी

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले के धनोरा थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम पंचायत राजपुर के पूर्व उपसरपंच रामजी दोदी निवासी ग्राम झारा की नक्सलियों ने मुखबीरी का आरोप लगाकर गला घोंटकर हत्या कर दी है। सूचना पर बुधवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर शव को धनोरा थाना लाया गया, जहा से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक रामजी के शव के साथ नक्सली पर्चे में नक्सलियों ने रामजी दोदी पर पुलिस मुखबिर का आरोप लगाने के साथ ही सडक़ निर्माण, मोबाइल टावर निर्माण में सहयोग करने का भी आरोप लगाया है। नारायणपुर एएसपी हेमसागर सिदार ने इसकी पुष्टि की है।

विनेश्वरी साहू ज्योति कलश पेट पर रखकर चैत्र नवरात्रि में कर रही कड़ी तपस्या

दुर्ग-ग्रामीण (आरएनएस)। ग्राम कातरो में एक 23 वर्ष की बालिका कुमारी विनेश्वरी साहू ने चैत्र नवरात्रि के पवन पर्व पर पाटा में लेटकर अपने पेट पर ज्योति कलश रखकर माता रानी की सेवा भक्ति कर रही है। और ऐसे ही 9 दिनों तक मातारानी की सेवा भक्ति करते रहेगी। बताया गया कि ये बालिका नवरात्रि पर दूबी का रस पीकर उपवास रहती है। बालिका के माता दुर्गा के प्रति अगाध आस्था का दर्शन करने उसके घर रोज सैकड़ों भक्त आ रहें हैं। बालिका की माँ ने चर्चा मे बताया की बचपन से ही इसके ऊपर माता रानी आना शुरू हो गया था ।उसके बाद से लगातार घर में पूजा पाठ किया जाता है।

खुद को राजस्व मंत्री का पीएसओ बताकर की दो शादियां

❒ नकली हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

बिलासपुर, 29 मार्च (आरएनएस)। खुद को राजस्व मंत्री का पीएसओ बताने नकली हेड कॉस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आप को राजस्व मंत्री का पीएसओ बताकर दो महिलाओं से शादी कर उनके पैसो में अय्याशी करता था। वहीं पुलिस की वर्दी पहन कर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था।

मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक युवक खुद को मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पीएसओ बताकर लोगों से ठगी कर रहा है। इस सूचना के बाद एसपी संतोष सिंह ने एसीसीयू और तखतपुर थाना की टीम को जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये। जांच के दौरान पुलिस ने ग्राम भैराकछार में वर्दी पहनकर घुम रहे आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा तथा उसके कब्जे से पुलिस कांबेट वर्दी, दो नग आइडी कार्ड, लाईटर गन, पिस्टल होलेस्टर कवर जब्त किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो जूनापारा तखतपुर का रहने वाला है और उसने पुलिस कर्मचारी बताकर पहले एक शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद धोखे से उसके साथ शादी कर ली। शिक्षिका के पैसे से मंहगी कार खरीदी और नकली वर्दी पहन पुलिस का रौब दिखाता था। आरोपी ने ठगी के रुपयों से कोरबा में एक मकान भी बनवा रहा था। इसी तरह यज्ञ कुमार ने एक अन्य बैंककर्मी महिला को भी अपने झांसे में फंसाकर उसके साथ शादी की। आरोपी दोनों महिलाओं को धोके में रखकर उनके साथ अलग अलग रहता था। साथ ही दोनों महिलाओं की संपत्ति पर ऐश करता था। इतना ही नहीं आरोपी खुद को राजस्व मंत्री जय सिंह का पीएसओ बताकर पुलिस विभाग में उंची पकड़ बताते हुए लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा भी देता था। पुलिस के जांच में यह बात भी सामने आई है कि यज्ञ कुमार अवैध नशे की सामाग्री बिक्री कराने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने यज्ञ कुमार यादव 37 वर्ष के खिलाफ थाना तखतपुर में धारा 170, 171, 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

1290 बच्चों का कराया गया स्वर्ण प्राशन

❒ आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में 0-16 वर्ष के बच्चों को कराया जाता है स्वर्ण प्राशन

रायपुर (आरएनएस)। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर द्वारा आज 1290 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य बाल रोग विभाग में 670 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। वहीं शहर के तीन स्कूलों शासकीय प्राथमिक शाला कोटा, मठपुरैना और चंगोराभाठा में शिविर आयोजित कर कुल 620 बच्चों को इसका सेवन कराया गया।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। चिकित्सालय के बाल रोग विभाग के डॉक्टरों और अन्य स्टॉफ के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय में बाल रोग विभाग में अध्ययनरत पीजी (एमडी) छात्र-छात्राएं भी इसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं। इस वर्ष तीन अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 9 जनवरी को 831, 4 फरवरी को 1124 और 3 मार्च को 1137 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया था।

स्वर्ण प्राशन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, श्वसन संबंधी एवं अन्य रोगों से रक्षा करने के साथ ही एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है।

महिला गिरफ्तार, खुद को रायपुर नगर निगम का कर्मचारी बताकर लोगों से कर रही थी ठगी

रायपुर (आरएनएस)। शासकीय आवास दिलाने का झांसा देकर लाखों रूपये ठगी करने वाली सोनाली दत्ता को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया ललिता मानिकपुरी ने पुलिस चौकी रामनगर थाना गुढिय़ारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह गोपाल नगर गली नं. 1 झोपड पट्टी रामनगर में रहती है। प्रार्थिया का विगत 10 माह पूर्व सोनाली दत्ता नामक महिला से संपर्क हुआ, जो स्वयं को नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी होना बताने के साथ ही अपना सम्पर्क बड़े अधिकारियों से होना बताते हुए प्रार्थिया एवं मोहल्ले की लगभग 30 से 35 लोगों से शासकीय योजना के अंतर्गत बने मकान दिलाने का झांसा देकर प्रत्येक परिवार से 20,000/- रूपये (बीस हजार रूपये) नगद लेते हुए सोनाली दत्ता द्वारा प्रार्थिया एवं मोहल्ले के अन्य लोगों से कुल 6,00,000 (छः लाख रूपये) लेकर मकान 90 दिनों के भीतर दिलाने का आश्वासन दिया गया। प्रार्थिया एवं अन्य लोगों द्वारा सोनाली दत्ता से मकान के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा मकान के संबंध में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं देकर लगातार गुमराह करने लगी तथा अपना मोबाईल फोन बंद कर दी, कि आरोपिया सोनाली दत्ता द्वारा प्रार्थिया सहित अन्य लोगों को शासकीय योजना के अंतर्गत बने मकान दिलाने का झांसा कुल 6,00,000/- रूपये प्राप्त कर ठगी किया गया। जिस पर आरोपिया के विरूद्ध थाना गुढिय़ारी में अपराध क्रमांक 125/2023 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार- सोनाली दत्ता पति स्व. अमल कृष्ण दत्ता उम्र 65 साल निवासी हुडक्रो भिलाई मकान नंबर 402 थाना कोतवाली जिला दुर्ग।

मुख्यमंत्री मितान योजना : 67 हजार लोगों के घर पहुंचा दस्तावेज

रायपुर, 29 मार्च (आरएनएस)। मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए बड़ी राहत मिल रही है। शासकीय काम-काज के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे जन्म, मृत्यु, मूल निवासी, विवाह आदि प्रमाण पत्र अब लोगों को इस योजना के जरिए आसानी से और घर बैठे ही मिल रहे हैं। मितान ने 67 हजार से अधिक लोगों के घर दस्तावेज लेकर पहुंचा चुके हैं। इन प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को केवल टोल फ्री नम्बर 14545 अप्वाइंटमेंट बुक कराना होता है। अप्वाइंटमेंट बुक करने के बाद आवेदक को बुकिंग की जानकारी के साथ एक एसएमएस प्राप्त होता है। इसके बाद तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज प्राप्त करते हैं। मितान घर पहुंचकर टैबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजे जाते हैं जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मितान एजेंट द्वारा प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 01 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में शुरू की गई मुख्यमंत्री मितान योजना में अब तक लगभग 77 हजार लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर प्राप्त करने के लिए अप्वाइंटमेंट बुक कराया है, वहीं दूसरी तरफ 67 हजार से अधिक नागरिकों ने घर बैठें ही अपने जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं। इस योजना में लगभग 01 लाख 50 हजार से अधिक नागरिकों ने मितान योजना के टोल फ्री नम्बर 14545 पर सम्पर्क कर शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की है।

मितान योजना में जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज, भूमि की रिकार्ड की नकल, भूमि सूचना (भूमि उपयोग), आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, पैन अपडेट एवं डुप्लीकेट सहित अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। आगामी दिनों में मितान योजना के माध्यम से नागरिकों को और अधिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिससे घर बैठे ही नागरिक अपने आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे।

योनेक्स सनराईज 45वीं भारतीय मास्टर्स राष्ट्रीय बेडमिंटन प्रतियोगिता 2022-23 में मनीषी सिंह ने हासिल किया सिल्वर मेडल

❒ मनीषी सिंह अब भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में साउथ कोरिया के सिओल में भाग लेंगी

रायपुर (आरएनएस)। गोवा में 19 मार्च से 26 मार्च 2023 तक आयोजित योनेक्स सनराईज 45वीं भारतीय मास्टर्स राष्ट्रीय बेडमिंटन प्रतियोगिता 2022-23 में मनीषी सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल कर प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मास्टर्स कैटेगरी में महिला सिंगल्स में मनीषी सिंह का पहला मैच कर्नाटक की निलयगंधनी से हुआ, जिसमे सीधे सेटों में 21/15, 21/16 से मनीषी ने जीत हासिल की । क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु की खिलाड़ी से खेलते हुए इसमें भी सीधे सेटों में 21/17, 21/18 से जीत हासिल की। उन्होंने सेमीफाइनल में असम की खिलाड़ी युपु बोनी को 21/12 ,21/15 हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली और फाइनल में राजस्थान की हिमानी पुनिया के बीच फाइनल मुकाबला हुआ।जिसमे मनीषी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। मनीषी सिंह का चयन भारतीय टीम में उनके शानदार खेल के प्रदर्शन पर हुआ । मनीषी सिंह अब भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में साउथ कोरिया के सिओल में भाग लेंगी ।

कोच ने बताया कि मनीषी सिंह की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है की वो सितम्बर माह में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इंडिया टीम की ओर से अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। उनकी उपलब्धि के लिए खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कोच ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। उनके पूरे घर में खुशी का माहौल है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने ली समय सीमा की बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज कलेक्टोरेट में जिले के कार्यों की समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन का वर्तमान एवं भावी योजनाएं का संचालन एवं निर्धारण ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य के आधार पर होगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को 1 से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन अपडेट लेते हुए निरंतर कार्य करने के लिए कहा। इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता के लिए 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कार्य शुरू होगा। जिले के सभी जनपद पंचायत और नगरीय निकाय इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की तैयारी एवं प्रशिक्षण तत्काल करें। ऑनलाइन आवेदन के प्रिन्ट, मूल दस्तावेज, बैंक खाता, पात्र-अपात्र, अपील आदि के संबंध में सावधानी से कार्य करें। बेरोजगारों को लाइवलीहुड कॉलेज से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

कलेक्टर ने रीपा, डीएमएफ में रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पोर्टल में साप्ताहिक निराकरण की स्थिति की जानकारी ली और प्रकरणों को निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत जिले के सभी स्कूलों की एंट्री पूरा करने के लिए अधिकारियों को कहा। उन्होंने धान के भंडारण, रखरखाव और बारदाना की उपलब्धता, पीडीएस वितरण आदि के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने सीईओ, सीएमओ, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को राज्य शासन की योजनाओं से संबंधित शिविर आयुष्मान, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना और शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, धन्वन्तरी आदि का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम स्कूल के शिक्षक भर्ती, नगर पंचायत क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रीपा केन्द्रों में विद्युतीकरण, विवादित खाता विभाजन, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, नक्शा बटांकन, निजी खातेदार सह खातेदार एवं आधार प्रविष्टि, धान बोनस, कृषि बीज वितरण, वनोपज, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, गर्मी में पेयजल की उपलब्धता आदि के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जिन किसानों के खातों में राशि भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कलेक्टर ने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट के लक्ष्य उत्पादन को पूरा करने के लिए कहा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लोगों में जागरूकता के लिए कोटवार से मुनादी कराने के लिए कहा। कलेक्टर ने संभावित सड़क दुर्घटना स्थलों के कार्यों, संकेतक आदि को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।